पंचायत आम निर्वाचन,
2021
अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं.नि. 30-239/2021 3583

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 8.9.21

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2021 — सम्पत्ति के विरूपण की रोक-थाम के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के अवसर पर अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कार्यालयों/ सरकारी उपक्रमों के भवनों/ दीवारों/ चाहरदीवारी आदि को पोस्टर इत्यादि चिपकाकर विरूपित करने की कार्रवाई से रोका जाना आवश्यक है। कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक निजी भवनों को भी विरूपित नहीं कर सकते हैं।

2. उक्त संदर्भ में बिहार सम्पति का विरूपण अधिनियम, 1987 की धारा 3(1) का निम्न अवतरण प्रासंगिक है :-

"Any body who defaces any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material, except for the purpose of indicating the name and address of the owner /occupier of such property shall be deemed to have committed an offence under this Act and he shall be punishable with imprisionment for a term which may extends to six months or with fine, which may extends to one thousand rupees or with both".

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि निजी भवनों पर भी उसके स्वामी के नाम एंव पते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति के विरूपण के दायरे में आएगा।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निदेशानुसार कहना है कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाये कि –

(1) किसी भी सरकारी / सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चाहरदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा

(i) किसी तरह का पोस्टर/ सूचना नहीं चिपकाया जायेगा।

(ii) किसी तरह का नारा नहीं लिखा जायेगा।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

(iii) किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जायेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी भी व्यक्ति के निजी भवन, दीवार या चाहरदीवारी इत्यादि पर कोई भी पोस्टर नहीं चिपकायेगा तथा किसी प्रकार का नारा नहीं लिखेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का बैनर अथवा झंडा आदि भी नहीं टांगेगा।

(3) (i) **चूँकि पंचायत निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिये किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा बैनर एवं पोस्टर/पर्ची नहीं लगाया जायेगा एवं किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जायेगा।**

(ii) मुद्रित पोस्टर/पर्ची/बैनर के नीचे (मुख्य पृष्ट पर) प्रेस, जिसके माध्यम से मुद्रित कराया गया है, के नाम एवं पता का उल्लेख होना चाहिये। इसीप्रकार हस्तलिखित पोस्टर/परचा आदि के नीचे लिखने वाले का नाम एवं पता का उल्लेख (मुख्य पृष्ट के निम्न भाग पर) रहना चाहिये।

4. कृपया अंपने क्षेत्र अन्तर्गत संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दें। आयोग के प्रेक्षक भी संपत्ति के विरूपण की घटनाओं एवं इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पर नजर रखेंगे। **उपर्युक्त निदेशों की अवहेलना/उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों/उनके समर्थकों पर संपत्ति का विरूपण निरोध अधिनियम 1987 की धारा - 3 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 426/427 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाये।** कृपया उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से पालन कराया जाय। अधिकारियों द्वारा इस संबंध में ढिलाई बरते जाने पर आयोग इसे काफी गंभीरता से लेगा तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई करेगा।

5. अनुरोध है कि आयोग के उपर्युक्त दिशा निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3583 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3583 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3583 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3583 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

D:\Sanjeev sir\P E2021\9